न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर लालसोट जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी :– मनमोहन मीना, आर.ए.एस.
अति0 जिला कलक्टर, लालसोट

मुकदमा नंबर :– जीसीएमएस नंबर 2023/4
मैन्युअल नंबर 25/2023

रजु दिनांकः :– 27.09.2023

1 धापा देवी बेवा स्व0 रामेश्वर प्रसाद दफ्तरी जाति ब्राह्मण निवासी पुरानी सब्जी मण्ड़ी वार्ड संख्या 9 कस्बा लालसोट तह0 लालसोट जिला दौसा, राज0 (फौत)

1/1 उमेश कुमार पुत्र स्व. रामेश्वर प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी पुरानी सब्जी मण्डी वार्ड नं0 13 कस्बा लालसोट तहसील लालसोट जिला दौसा (राज0)

(निगरानीकर्त्ता)

बनाम

1. सत्यनारायण वल्द छोगा लाल जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड संख्या 9 पुरानी सब्जी मण्ड़ी कस्बा लालसोट जिला दौसा (राज0)
2. नगरपालिका लालसोट जरिये अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका लालसोट।
3. विकास अधिकारी, पंचायत समिति लालसोट
4. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लालसोट
5. उपपंजीयक कार्यालय तहसील लालसोट

(गैर निगरानीकर्त्ता)

उपस्थितः– 01. निगरानीकर्त्ता की ओर से : बलराम मीना एडवोकेट
02. गैर निगरानीकर्त्ता नं0 1 की ओर से : प्रेमस्वरूप लामडा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः 30/4/25

निगरानी विरूद्ध पट्टा/आबादी भूमि का बैयनामा दिनांक 05.09.1965 तत्कालीन ग्राम पंचायत लालसोट बहक अप्रार्थी सं0 1 के पिता छोगा लाल वल्द बिहारी लाल के हक में

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार की ओर से एक निगरानी विरूद्ध पट्टा/आबादी भूमि का बैयनामा दिनांक 05.09.1965 तत्कालीन ग्राम पंचायत लालसोट इस आशय की पेश की गई कि तत्कालीन ग्राम पंचायत लालसोट दिनांक 05.09.1965 के आधार पर जारी किया गया पट्टा/आबादी भूमि का बैयनामा/नजराना विक्रय विधि विधान एवं

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

कानून की सामान्य प्रक्रिया एवं सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। निगरानीकार मृतका धापा देवी स्वर्गीय रामेश्वर प्रसाद दफ्तरी की बेवा स्त्री है एवं धापा देवी के स्वर्गीय पति को मुस्मात भौरी बेवा भगोती लाल ब्राह्मण जो कि स्वर्गीय शंकरानन्द की पुत्र वधू थी के द्वारा मृतका धापा देवी के पति को दिनांक 30.04.1957 को जरिये रजिस्टर्ड वसीयत पत्र अपनी व अपने ससुर शंकरानन्द की सम्पूर्ण चल अचल सम्पत्ति का वारिस करार देकर वसीयती घोषित किया गया था जिसकी मुताबिक ही भौरी देवी के पति द्वारा जायदाद वर्तमान वार्ड संख्या 9 में स्थित मकान दुकान व खाम बाडा का अपने जीवन पर्यन्त उपयोग किया जाता रहा है। निगरानीकार ने निगरानी में वादग्रस्त सम्पत्ति की दिशा अनुसार सीमांकन व माप का अंकन करते हुए उक्त सम्पत्ति का क्षेत्रफल 77.77 वर्ग गज होना अंकित किया है।

निगरानीकार ने आगे उक्त प्रश्नगत पट्टा बाबत जायदाद वादग्रस्त को बजमाने बुजुर्गान धापा देवी के पति से पूर्व शंकरानन्द की जायदाद होना बताते हुए शंकरानन्द का सजरा खानदान अंकित किया है तथा कथन किए है कि धापा देवी के पति जो कि बाल्यावस्था से ही वसीयतकर्त्ता भौरी देवी के ससुर शंकरानन्द के पास बहैसियत पुत्र के पले बडे है एवं बाद वफात शंकरानन्द के उनकी पुत्र वधू जो कि लाऔलाद थी ने धापा देवी के पति को अपना वारिस करार देकर जरिये रजिस्टर्ड वसीयत अपनी व अपने ससुर की मिल्कियत चल अचल सम्पत्ति स्थित पुरानी सब्जी मण्डी कस्बा लालसोट में स्थित मकान, दुकान एवं उक्त जायदाद वादग्रस्त का सम्पूर्ण मालिकाना हक धापा देवी के पति को सुपुर्द कर दिया तब से निगरानीकार व उसके परिवारजन वादग्रस्त भूखण्ड पर बहैसियत स्वामी निरन्तर 55– वर्षो से काबिज है जिससे गैर निगरानीकार सं0 1 का कोई वास्ता नही है।

निगरानकार ने अभिवचन किए है कि निगरानीकार धापा देवी द्वारा पूर्व में उक्त वादग्रस्त जायदाद का पट्टा लेने हेतु आवेदन नगर पालिका लालसोट में किया गया था किन्तु गैर निगरानीकार सं0 1 द्वारा अन्य भू माफिसा लोगों के साथ मिलकर फर्जकारी कर उक्त जायदाद वादग्रस्त को अपनी मिल्कियत बताकर उक्त प्रश्नगत पट्टा/आबादी भूमि का बैयनामा दिनांक 05.09.1965 की आड में अवैधानिक तौर पर गुपचुप में पृथकशः पट्टा बाबत आवेदन किया गया था जिस पर निगरानीकार व उसके पत्रगण द्वारा ऐतराज भी नगर पालिका लालसोट में दर्ज करवाया गया था। इसी कारण प्रार्थीया/निगरानीकार को नगर पालिका लालसोट द्वारा पट्टा जारी नही किया गया है।

निगरानीकार ने कथन किए है कि प्रश्नगत पट्टे वाले वादग्रस्त भू खण्ड पर निगरानीकार का बुजुर्गान के समय से आधिपत्य होने के बावजूद प्रश्नगत पट्टे की स्वीकृति करने से पूर्व तत्कालीन ग्राम पंचायत लालसोट द्वारा आधिपत्य के बारे में किसी भी प्रकार की कोई जांच विल्कुल नही की गई तथा न्याय के सिद्धांतो के विपरीत जाकर प्रश्नगत पट्टे की स्वीकृत अवैद्य तौर पर कर दी गई जो तत्काल निरस्तनीय है। निगरानीकार का कहना है कि उक्त भूखण्ड कि लंबाई चौडाई उक्त प्रश्नगत पट्टे में तो 24x30 क्षेत्रफल 83.6वर्ग गज दर्शित कर रखा है जबकि वास्तविक एवं भौतिक तौर पर उक्त भू खण्ड की लंबाई x चौडाई

अति० जिला कलक्टर

25 X 28 फिट कुल क्षेत्रफल 77.77 वर्गगज होती है जिससे यह सुस्पष्ट है कि उक्त भूखण्ड का वास्तविक एवं भौतिक तौर पर मौका मुआयना नही किया गया। अतः अवैधानिक तौर पर जारी किया गया पट्टा निरस्तनीय है। निगरानीकार ने प्रश्नगत पट्टे में संकल्प संख्या, मर्क्खा, पुष्ट आर्डर की संख्या आदि के कॉलम व आर्डर संख्या का स्थान आदि रिक्त होने का कथन करते हुए पट्टे की कानूनी सत्यता एवं प्रमाणिकता को संदेहास्पद एवं अवैधानिक दर्शित होना बताते हुए प्रश्नगत पट्टा निरस्तनीय करार दिया है।

निगरानीकार ने निगरानी के साथ प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद मय शपथ पत्र पेश कर प्रश्नगत पट्टा/आबादी भूमि का बयनामा दिनांक 05.09.1965 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर निगरानीकारान की तलवी की गई। अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका लालसोट से तत्कालीन ग्राम पंचायत लालसोट के वादग्रस्त पट्टे से संबंधित मूल अभिलेख पूर्व न्यायालय अति0 जिला कलक्टर दौसा के पत्रांकः1462–65 दिनांक 09.06.2016, 2474–75 दिनांकः 22.08.2016, 7890–91 दिनांक 19.01.2018, 9508–09 दिनांक 01.06.2018, 941 दिनांक 25.04.2019 व इस न्यायालय के पत्रांकःकोर्ट/2024/32 दिनांक 19.01.2024 द्वारा तलब किया गया किन्तु अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका लालसोट द्वारा मूल अभिलेख के संबंध में कोई जवाब पेश नहीं किया गया।

प्रकरण में प्रार्थी उमेश कुमार द्वारा प्रार्थना पत्र कायम मुकाम मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पेश कर निगरानीकार सं. 1 धापा देवी की मृत्यु दिनांक 26.07.2022 को होना जाहिर करते हुए प्रार्थी उमेश कुमार पुत्र रामेश्वर प्रसाद दबदरी जाति ब्राह्मण निवासी पुरानी सब्जी मण्डी वार्ड नं0 13 कस्बा लालसोट को मृतका धापा देवी के स्थान पर वारिस प्रतिस्थापित करने का निवेदन किया। कायम मुकामान प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी की लिखित बहस व गैर निगरानीकार की मौखिक बहस पर गौर किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कायम मुकाम स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को निगरानीकार नं0 1/1 पर मृतका धापा देवी के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया।

वकील गैर निगरानीकार नं. 1 द्वारा पेश प्रारंभिक आपत्ति प्रार्थना पत्र भी पेश किया जाने पर शामिल किया गया। प्रकरण में सीधे अंतिम बहस सुनी गई। निगरानीकार द्वारा जरिये अधिवक्ता लिखित बहस पेश की गई। निगरानीकार ने लिखित बहस में निगरानी के तथ्यों को दोहराते हुए प्रश्नगत पट्टा/आबादी भूमि का बयनामा दिनांक 05.09.1965 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं0 1 की मौखिक बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं0 1 ने कथन किए है कि निगरानीकार उमेश के पिता रामेश्वर प्रसाद ने वर्ष 1965 में ग्राम पंचायत से अपनी उज्रदारी वापस ले ली थी जिसके संबध में अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं0 1 द्वारा दस्तावेज पेश किए गए है। वर्ष 1965 के पट्टे की निगरानी बहुत

अति0 जिला कलक्टर
लालसोट (दौसा)

विलंब से पेश की है। पट्टा जारी होने के 51 वर्ष बाद निगरानी पेश की है जो खारिज योग्य है। अधिवक्ता निगरानीकार द्वारा इस प्रकार कथन करते हुए निगरानीकार की निगरानी खारिज फरमाने का निवेदन किया है।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं0 1 द्वारा अपने अभिवाको के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किए है:–

न्यायिक दृष्टांत – 2024(2)CJ(Civ.)(SC) पेज नं0 476

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5– विलम्ब की दीर्घता एक सुसंगत मामला है जिस पर न्यायालय को यह विचार करते समय की विलम्ब का उपशमन किया जाय या नहीं, आवश्यक रूप से ध्यान देना चाहिये"

न्यायिक दृष्टांत – 2024(2)CJ(Civ.)(SC) पेज नं0 565

उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि "परिसीमा अधिनियम, 1963–धारा 5– व्याप्ति– यह अत्यन्त ही अनिवार्य तथा भली भांति समझा हुआ है कि न्यायालयों को अपील प्रस्तुत नहीं करने में हुए विलम्ब का उपशमन करने के लिए आवेदनों पर विचार करने के समय गैर न्यायिक उपागम नहीं करना चाहिये बल्कि तात्विक न्याय उपलब्ध करवाने के लिए व्यावहारिक रास्ता चुनना चाहिये"

हमने निगरानीकार की लिखित बहस तथा अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं0 1 की मौखिक बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं0 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन एवं अवलोकन किया। इसके उपरांत हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि पट्टा जारी होने के 51 वर्ष बाद पट्टे की निगरानी पेश की गई है जो चलने योग्य नहीं है तथा अधिवक्ता गैर निगरानीकार नं0 1 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत भी प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अतः न्यायालय की राय में निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी औचित्यहीन होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30/4/25 को सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(मनमोहन शर्मा आरएएस)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
लालसोट,दौसा